



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मई, 2026 ई0 (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्) [संख्या-19

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द्रा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	249—253	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	123—128	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	195—203	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

E./Comp. No.-57511/2026

कार्यालय-ज्ञाप

20 अप्रैल, 2026 ई0

संख्या-I/386878/2026—महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-2प/रा0पु0/129/2003/26812, दिनांक 29.07.2024 के क्रम में शासन के पत्र संख्या-327348, दिनांक 02.09.2026 के द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुए, महानिदेशक के माध्यम से सभी सम्बन्धित चिकित्सकों से आपत्ति आमंत्रित की गयी थी, जिसके माध्यम से कतिपय चिकित्सकों से आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। जिसमें से कतिपय चिकित्सकों की आपत्तियों के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण निम्नवत है:

1. डा0 राजीव सिंह पाल द्वारा बिन्दु संख्या-1, 2 3 एवं 4 में डा0 पाल द्वारा महानिदेशालय पर यह आपत्ति दर्ज की है इनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित नहीं की है, परन्तु महानिदेशक द्वारा अपने संख्या दिनांक द्वारा अवगत कराया गया है कि इनके द्वारा समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अनन्तिम ज्येष्ठता सूची सभी सम्बन्धों के मध्यम आपत्तियां उपलब्ध कराने हेतु परिचालित कर दी गयी थी। बिन्दु संख्या-5 में ज्येष्ठता से सम्बन्धित कोई भी तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया। बिन्दु संख्या-6, 7 एवं 8 में डा0 पाल द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उनको उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग की प्रवीणता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा सम्बन्धित अधिकारी के दावे की पुष्टि प्रमाणित नहीं होती है, जबकि उक्त प्रवीणता सूची के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा पूर्व में ही सारे अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं, जिसमें डा0 हरीश चन्द्र पन्त की लोक सेवा आयोग में वरिष्ठता सूची में क्रमांक-56 अंकित है जबकि डा0 राजीव सिंह पाल का क्रमांक-65 अंकित है। अतः अभिलेख की उपलब्धता न होने के आधार पर तथ्य को स्वीकार न करने का डा0 पाल की आपत्ति को अस्वीकार किया जाता है। बिन्दु संख्या-8 में डा0 पाल द्वारा विरोधाभासी तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनके द्वारा क्रमांक तथा अनुक्रमांक शब्द पर भ्रम की स्थिति होने का तथ्य उल्लिखित किया है तथा दस्तावेजों को फर्जी बताया गया है जो कि स्वीकार्य योग्य नहीं है। बिन्दु संख्या-9 में उनके द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मात्र आशंका ही हैं। डा0 पाल ज्येष्ठता को चुनौती दिये जाने संबंधी कोई ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-5 में यह व्यवस्था की गयी है कि:—“यहां सेवानियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो, वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी हो।” यहां स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत की गयी प्रवीणता सूची में डा0 हरीश चन्द्र पन्त की प्रवीणता-56 तथा डा0 राजीव सिंह पाल की प्रवीणता-65 है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-54/1/सेवा-8/95-96, दिनांक 05.10.1996, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य को सम्बोधित के साथ संलग्न सूची में क्रम संख्या-56 पर डा0 हरीश

चन्द्र पन्त (औप0) दर्शाया गया है तथा क्रम संख्या-65 पर डा0 राजीव सिंह पाल का नाम दर्शाया गया है। अतः डा0 राजीव सिंह पाल की आपत्ति को निराधार मानते हुए, एतद्वारा अस्वीकार किया जाता है।

2. डा0 मनु जैन द्वारा अपने आपत्ति सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 10.10.2025 के प्रथम बिन्दु संख्या-1, 2 एवं 3 में डा0 हरीश चन्द्र पन्त के अनुरोध को स्वीकार न करने का अनुरोध किया गया है, जबकि वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही गयी है। बिन्दु संख्या-4 में एक निश्चय समयावधि में कैडर में योगदान न करने का कारण पूछा गया है। बिन्दु संख्या-5 में 03 प्रामोशन प्राप्त करने के उपरान्त अपनी वरिष्ठता के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन न देने का कारण पूछा है तथा बिन्दु संख्या-6 में उत्तर प्रदेश का परामर्श प्राप्त करने का सरकार को परामर्श दिया गया है तथा बिन्दु संख्या-7 में उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग से पुष्टि कराये जाने का परामर्श दिया है, परन्तु ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। मात्र तथ्यों की पुष्टि का अनुरोध किया गया है। तथ्यों की पुष्टि कराना प्रशासनिक कार्य है। इस विषय पर महानिदेशालय से आख्या प्राप्त हो चुकी है, जिसमें डा0 हरीश चन्द्र पन्त को अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में निर्धारित स्थान पर ही होने की पुष्टि की गयी है। अतः ज्येष्ठता पर आपत्ति न करने के कारण कोई बिन्दु विचार योग्य प्रतीत नहीं हो रहा है।

3. डा0 विजय सिंह के बिन्दु संख्या-2 में उल्लेख किया गया है कि डा0 हरीश चन्द्र पन्त की वरिष्ठता निर्धारण हेतु वर्तमान में निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अवगत कराना है कि डा0 हरीश चन्द्र पन्त की नियुक्ति तिथि 28.05.1997 एवं योगदान/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 18.06.1997 है, जबकि मेरी नियुक्ति तिथि 31.12.1996 एवं योगदान/कार्यभार करने की तिथि 31.01.1997 है। इस आधार पर भी डा0 हरीश चन्द्र पन्त की ज्येष्ठता मेरे ऊपर कदापि निर्धारित नहीं की जा सकती है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-54/1/सेवा-8/95-96, दिनांक 05.10.1996, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य को सम्बोधित के साथ संलग्न सूची में क्रम संख्या-56 पर डा0 हरीश चन्द्र पन्त (औप0) दर्शाया गया है तथा क्रम संख्या-69 पर डा0 विजय सिंह, पुत्र श्री गजेन्द्र पाल सिंह का नाम दर्शाया गया है। उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-5 में यह व्यवस्था की गयी है कि:-यहां सेवानियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो, वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी हो।" अतः डा0 विजय सिंह की आपत्ति निराधार होने के कारण उपरोक्त नियमों के आलोक में एतद्वारा निर्गत की जाती है।

4. उपरोक्त चिकित्सकों के द्वारा दी गयी आपत्तियों का निराकरण उपरोक्तानुसार करते हुए, शासन के पत्र संख्या-327348, दिनांक 02.09.2026 द्वारा अवधारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में डा0 हरीश चन्द्र पन्त मुख्य सर्जन के प्रत्यावेदन के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1377, दिनांक 19.11.2010 द्वारा प्रख्यापित की गयी अंतिम ज्येष्ठता सूची को निम्न सीमा तक उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-54/1/सेवा-8/95-96, दिनांक 05.10.1996 के साथ संलग्न प्रवीणता सूची तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 भाग-2 (ज्येष्ठता का अवधारण) के नियम-5 में उल्लिखित व्यवस्था के अधीन सम्यक विचारोपरान्त

कार्यालय ज्ञाप संख्या-1377, दिनांक 19.11.2010 को संशोधित करते हुए निम्नानुसार अंतिम किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृती प्रदान की जाती है:-

वरि0क0	उ0प्र0 की वरि0सूची क्रमांक	नियुक्ति का स्रोत	नाम	पिता/पति का नाम	शैक्षिक योग्यता	लिंग	जन्म तिथि	श्रेणी	गृह जनपद	नियुक्ति तिथि	योगदान तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
419	1020क	PSC	राकेश कुमार सुन्दरियाल	गोविन्द प्रसाद सुन्दरियाल	MB (ORTHO)	पुरुष	27.07.70	GEN	पौड़ी	31.12.96	02.04.97	
419 क		PSC (PG Batch)	हरीश चन्द्र पन्त	पूरन चन्द्र पन्त	MS(SURG)	पुरुष	06.10.70	GEN	पिथौरागढ़	28.05.97	18.06.97	
420		PSC	राजीव सिंह पाल	आर0वी0पाल	DCH	पुरुष	21.04.67	GEN	लखनऊ	31.12.96	21.01.97	
421		PSC	राहुल जोशी	जय बल्लभ जोशी	MBBS	पुरुष	17.01.68	GEN	मुरादाबाद	31.12.96	30.01.97	
422		PSC	विजय सिंह	जी0पी0 सिंह	DGH	पुरुष	12.04.70	GEN	बिजनौर	31.12.96	31.01.97	

5- अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या-1377, दिनांक 19.11.2010 द्वारा प्रख्यापित की गयी अंतिम ज्येष्ठता सूची को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

आज्ञा से,
सचिन कुर्वे,
सचिव।

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

21 अप्रैल, 2026 ई0

पत्रांक-3533/तीन- 137/च0सं0/2025-26-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शासनादेश संख्या-135/XVIII(3)/2026-03 (07)/2016, दिनांक 06 अप्रैल 2026 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा-52 की उपधारा-(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरु, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार, के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं:-

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1-	नगला सलारु	रुड़की	मंगलौर	हरिद्वार
2-	इमलीखेड़ा धर्मपुर	रुड़की	रुड़की	हरिद्वार

रंजना राजगुरु,
संचालक, चकबन्दी/
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग-2

कार्यालय-ज्ञाप

24 अप्रैल, 2026 ई0

संख्या-219/XVII-2/26-317/(रा0म0आ0)2003/E-70491-मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-175(1)/14/1/3/XXI/20 25 दिनांक 03 अप्रैल, 2026 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 3(2)ग में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में श्रीमती प्रेमलता (सुमन रौतेला), हॉउस नं0-ए-79, दुर्गा कॉलोनी, रुड़की, जनपद हरिद्वार को सदस्य के रूप में नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005 में उल्लिखित अध्याय-2 के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर-ग के अनुसार निर्धारित अर्हतायें कार्यभार ग्रहण किये जाने पर पूर्ण न किये जाने की दशा में संबंधित सदस्य की सदस्यता स्वतः निरस्त समझी जाए।

3- उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम 2005 के प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर-1, एवं 2 के अनुसार इनकी पदावधि एवं सेवा शर्तें निर्धारित होंगी।

आज्ञा से,

चन्द्रेश कुमार,

सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मई, 2026 ई0 (बैशाख 19 , 1948 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

April 15, 2026

No. 91/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Chandreshwari Singh, Judicial Magistrate, Laksar, District Haridwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Nainital, vice Ms. Urvashi Rawat.

No. 92/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Rajendra Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Dwarahat, District Almora is transferred and posted as Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar, vice Shri Vinit Kumar Srivastava.

No. 93/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Kalpana, Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is transferred and posted as Judicial Magistrate, Pithoragarh, vice Ms. Tanya Middha.

No. 94/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Puneet Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal, vice Shri Kuldeep Narayan.

No. 95/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Rizwan Ansari, Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Pauri Garhwal, vice Ms. Pratiksha Kesarwani.

No. 96/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Shivani Nahar, Judicial Magistrate-I, Roorkee, District Haridwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.) Bageshwar, vice Shri Puneet Kumar.

No. 97/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Shambhu Nath Singh Sethwal, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar, vice Shri Rizwan Ansari.

No. 98/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Laval Kumar Verma, Civil Judge (Jr. Div.), Chamoli is transferred and posted as Judicial Magistrate, Laksar, District Haridwar, vice Ms. Chandreshwari Singh.

No. 99/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Kuldeep Narayan, Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar, vice Ms. Tanuja Kashyap.

No. 100/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Pallavi Gupta, Judicial Magistrate, Chamoli is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Laksar, District Haridwar, vice Shri Anurag Tripathi.

No. 101/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Urvashi Rawat, Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital, vice Ms. Ruchika Goel.

No. 102/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Chairab Batra, Judicial Magistrate-II, Roorkee, District Haridwar is posted as Judicial Magistrate-I, Roorkee, District Haridwar, vice Ms. Shivani Nahar.

No. 103/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Tanuja Kashyap, Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar, vice Shri Samshad Ali.

No. 104/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Jasmeet Kaur, Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, District Almora is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Bazpur, District Udham Singh Nagar, vice Ms. Suman Bhandari.

No. 105/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Ruchika Goel, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is transferred and posted as Judicial Magistrate, Rishikesh, District Dehradun, vice Ms. Nandita Kala.

No. 106/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Suman Bhandari, Civil Judge (Jr. Div.), Bazpur, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Haridwar, vice Ms. Avantika Singh Chaudhary.

No. 107/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Prateek Mathela, Judicial Magistrate, Pauri Garhwal is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar, vice Shri Shambhu Nath Singh Sethwal.

No. 108/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Vinit Kumar Srivastava, Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Haridwar, vice Ms. Upadhi Singhal.

No. 109/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Deepti Pant, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Judicial Magistrate-II, Roorkee, District Haridwar, vice Ms. Chairab Batra.

No. 110/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Anurag Tripathi, Civil Judge (Jr. Div.), Laksar, District Haridwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, vice Ms. Kalpana.

No. 111/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Pratiksha Kesarwani, Civil Judge (Jr. Div.), Pauri Garhwal is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar, in the vacant Court.

No. 112/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Chetan Singh Gautam, Civil Judge (Jr. Div.), Kirtinagar, District Tehri Garhwal is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar, vice Ms. Deepti Pant.

Shri Chetan Singh Gautam will not be entitled to Transfer Travelling Allowance.

No. 113/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Avantika Singh Chaudhary, Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Haridwar is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Haridwar, in the vacant Court.

No. 114/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Ruchika Narula, Civil Judge (Jr. Div.), Sitarganj, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Tanakpur, District Champawat, vice Ms. Priyanshi Nagarkoti.

No. 115/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Nandita Kala, Judicial Magistrate, Rishikesh, District Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Sitarganj, District Udham Singh Nagar, vice Ms. Ruchika Narula.

No. 116/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Akmal, Judicial Magistrate-II, Udham Singh Nagar is transferred and posted as Judicial Magistrate, Pauri Garhwal, vice Shri Prateek Mathela.

No. 117/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Vikas Kumar, Judicial Magistrate, Vikasnagar, District Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag, vice Shri Jatin Mittal.

No. 118/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Jainab, Civil Judge (Jr. Div.), Garur, District Bageshwar is transferred and posted as Judicial Magistrate-II, Dehradun, vice Shri Prateek Kapil.

No. 119/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Upadhi Singhal, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Haridwar is transferred and posted as Judicial Magistrate-II, Haldwani, District Nainital, in the vacant Court.

No. 120/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Prateek Kapil, Judicial Magistrate-II, Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Dhari, District Nainital, in the vacant Court.

No. 121/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Priyanshi Nagarkoti, Civil Judge (Jr. Div.), Tanakpur, District Champawat is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital, in the vacant Court.

Ms. Priyanshi Nagarkoti will not be entitled to Transfer Travelling Allowance.

No. 122/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Samshad Ali, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar, vice Shri Anoop Singh Bhakuni.

No. 123/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Anoop Singh Bhakuni, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Kirtinagar, District Tehri Garhwal, vice Shri Chetan Singh Gautam.

No. 124/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Hina Kousar, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Chamoli, vice Shri Laval Kumar Verma.

No. 125/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Nancy Chhabra, 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi, in the vacant Court.

No. 126/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Sonam Rawat, Judicial Magistrate-IV, Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, District Almora, vice Ms. Jasmeet Kaur.

No. 127/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Abhishek Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun is transferred and posted as Judicial Magistrate-II, Udham Singh Nagar, vice Ms. Akmal.

No. 128/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Jatin Mittal, Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag is transferred and posted as Judicial Magistrate, Vikasnagar, District Dehradun, vice Shri Vikas Kumar.

No. 129/UHC/Admin.A-2/2026

Shri Naveen Rana, Civil Judge (Jr. Div.), Dharchula, District Pithoragarh is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, vice Ms. Hina Kousar.

No. 130/UHC/Admin.A-2/2026

Ms. Tanya Middha, Judicial Magistrate, Pithoragarh is transferred and posted as Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun, vice Shri Abhishek Kumar Mishra.

Note:

All above orders shall come into force w.e.f. 20.04.2026.

By Order of the Court,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

**UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL**

NOTIFICATION

April 17, 2026

No. 944/I-H-1/2012/SLSA/2026--In view of the powers conferred under Section-9 (3) of the Legal Services Authorities Act, 1987, Rule-12(1) of the Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2015 and in pursuance of the recommendation letter no. 1844, dated 15th April, 2026 of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint the following Judicial Officers as Secretaries, District Legal Services Authorities in the districts mentioned against their names:-

No. 941 /III-A-11/SLSA/2026

Date: 17 April, 2026

Shri Dayaram, Chief Judicial Magistrate, Almora is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, **Tehri Garhwal**, vice **Shri Alok Ram Tripathi**.

No. 942 /III-A-12/SLSA/2026

Date: 17 April, 2026

Ms. Mamta Pant, 6th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, **Udham Singh Nagar**, vice **Shri Yogendra Kumar Sagar**.

No. 943 /III-A-01/SLSA/2026

Date: 17 April, 2026

Ms. Anamika Singh, 7th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, **Almora**, vice **Ms. Shachi Sharma**.

Note:- In light of the direction of the Hon'ble High Court, the above orders will come into force w.e.f. 20.04.2026.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI,

Member-Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मई, 2026 ई0 (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Additional Director

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 667949229733 में त्रुटिवश उसका नाम NIVYA गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम नव्या (NAVYA) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं. 0320 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को नव्या (NAVYA) पुत्री विपिन कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विपिन कुमार
निवासी ग्राम इमलीखेडा धर्मपुर, इमलीखेरा धरमपुर,
जिला—हरिद्वार, राज्य—उत्तराखण्ड,

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती कांती लकरा पति स्व० तोकला बालाहुस्सैन अपने पुत्र का नाम तोकला अनुभव बाला (पुराना नाम) से बदल कर जैम्स बाला (नया नाम) करती हूँ। भविष्य में मेरा पुत्र को जैम्स बाला (नया नाम) के नाम से ही जाना जायेगा।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

श्रीमती कांती लकरा
पति स्व० तोकला बालाहुस्सैन
पता—एल०बी०एस०एन०ए०ए० मसूरी
जिला—देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं० 3293 0155 4424 में त्रुटिवश उसका नाम आवेस (AAVES) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम उवैस (UVAIS) है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं० B202505078680000016 व स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं० UK25ES0100633331 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को उवैस (UVAIS) पुत्र इनाम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

इनाम
निवासी—ग्राम नगला खुर्द, मधुपुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं.-307346932007 में त्रुटिवश मेरा नाम राहुल पुन RAHUL PUN व पिता का नाम कृष्ण पुन KRISHAN PUN गलत दर्ज हो गया है मेरा वास्तविक नाम राहुल RAHUL व पिता का सही नाम कृष्ण KRISHAN है जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 1906108396 व डीएल HP6620210000069 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे राहुल RAHUL पुत्र कृष्ण KRISHAN के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाए

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राहुल पुत्र कृष्ण
निवासी—भीमावाला तहसील—विकासनगर
जिला— देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मैंने, निजी कारणों से अपना नाम—SHOKEEN से बदलकर SHOKEEN SALMANI कर लिया है। जो मेरे आधारकार्ड नंबर—2150—1548—4958 व पैनकार्ड नंबर—GFWPS0586E में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे SHOKEEN SALMANI S/O SHAKEEL AHMAD के नाम से जाना—पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SHOKEEN SALMANI S/O SHAKEEL AHMAD
ADD-244, BANDARAJUD MAZBATA MAJAHIDPUR,
SATIVALAPO-SIKRODA DIST-HARIDWAR, UTTARAKHAND

सूचना

यह कि मेरा आधार कार्ड नं०—2211—0487—6579, में त्रुटिवश मेरा नाम जसोदा देवी दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम यशोदा देवी (YASODA DEVI) जोकि मेरे पहचान पत्र नं०—XGC0571042, में भी दर्ज है भविष्य में मुझे यशोदा देवी (YASODA DEVI) पत्नी श्री सराद सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये, निवासी ग्राम धिरौली, लदोली, रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।

समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गई हैं।

यशोदा देवी पत्नी श्री सराद सिंह
निवासी ग्राम धिरौली, लदोली,
रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।—246429.

सूचना

मेरे NIOS हाईस्कूल वर्ष—2016 अनुक्रमांक 340233152027 एवं NIOS इण्टरमीडिएट वर्ष—2019 अनुक्रमांक 340171183041 में मेरा नाम MOHD UMAIR दर्ज है। लेकिन मेरे पुराने पासपोर्ट सं० L4294279 अग्रेजी में त्रुटिवश मेरा नाम MOHD UMAIR के स्थान पर MOHAMMAD UMER गलत दर्ज हो गया है। लेकिन अब मैंने निजी कारणों से अपना नाम MOHD UMAIR से बदलकर UMAIR कर लिया है जोकि मेरे नये RENEW पासपोर्ट सं० W7181925 एवं आधार कार्ड नं० 809428047466 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे UMAIR S/o IKRAM के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

UMAIR S/o IKRAM
निवासी—नन्हेड़ा अनंतपुर, जिला—हरिद्वार,
राज्य—उत्तराखण्ड

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं0 9099 1058 4907 के उसका नाम दिशी रावत दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम दिशी रावत से बदलकर देविशा रावत (Devisha Rawat) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं0 75 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को देविशा रावत (Devisha Rawat) पुत्री श्री अनुराग रावत के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अनुराग रावत

निवासी— 135 लेन नं0 04, कैनरा बैंक के पास

भानियावाला देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे स्व0 पिता Sukhdev Singh की एल0आई0सी0 पॉलिसी नं0 185148658 के नॉमिनी में मेरा घरेलू नाम Vinayak दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम Sameer है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 5312215 व आधार कार्ड नं0 9735 4095 1951 में भी दर्ज है। Vinayak उर्फ Sameer ये दोनों मेरे ही नाम हैं। भविष्य में मुझे दोनों ही नामों से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Sameer S/o Late Sukhdev Singh

निवासी—वार्ड नं0 07, साहब नगर छिंदरवाला

देहरादून उत्तराखण्ड।

कार्यालय नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल)**व्यवसायिक लाईसेन्स उपविधि 2025**

15 जनवरी, 2026 ई0

पत्रांक 42/05-कर अनु0/2025-26,

1. परिभाषा— किसी बात से प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर।

- यह उपविधि नगरपालिका परिषद, रामनगर की सीमान्तर्गत विभिन्न व्यवसायों के विनियमन हेतु व्यवसायिक लाईसेन्स उपविधि 2025 कहलायेगी।
- अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, रामनगर के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी से है।
- अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगरपालिका परिषद, रामनगर के अधिशासी अधिकारी से है।
- नगरपालिका परिषद रामनगर की सीमा से तात्पर्य नगरपालिका परिषद, रामनगर की शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है।
- इस उपविधि के अधीन नगरपालिका परिषद, रामनगर के अधिशासी अधिकारी लाईसेन्स अधिकारी होंगे।
- बोर्ड से तात्पर्य नगरपालिका परिषद, रामनगर के निर्वाचित बोर्ड से है।

2. यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
3. कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद, रामनगर की सीमा अन्तर्गत निम्नवत अनुसूचि (क) में दिये गये व्यवसायों को नहीं कर सकेगा, जब तक कि नगरपालिका परिषद, रामनगर कार्यालय से अपने सम्बन्धित व्यवसायों हेतु लाईसेन्स प्राप्त कर लेता।
4. प्रत्येक व्यवसायी एवं उद्यमी को इन उपविधि के अधीन नगरपालिका परिषद, रामनगर के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु 30 अप्रैल तक लाईसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. प्रत्येक निर्गत प्राप्त लाईसेन्स एक वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होगा।
6. लाईसेंसिंग अधिकारी को लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायिक दुकान का निरीक्षण करने को अधिकार होगा। लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारी जो निरीक्षक के पद की श्रेणी से कम न हो द्वारा की व्यवसायिक दुकान/प्रतिष्ठान की जांच आख्या संस्तुति करने पर ही लाईसेन्स निर्गत किया जायेगा।

7. लाइसेंसिंग अधिकारी को अधिकार होगा कि लाइसेन्स निर्गत करने से पूर्व खानपान की सामग्री से सम्बन्धित व्यवसायिक दुकान अथवा फल सब्जी को नित्य प्रति मानवीय प्रयोग के लिये विक्रय हेतु हो कि स्वच्छता तथा खाद्य पदार्थ सुनियोजित रूप से साफ समान बर्तनों में रखे होंगे जिसमें मक्खियों व धूल के कण आदि हानिकारक पदार्थ एवं कीटाणुओं का प्रभाव न पड़ सके।
8. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो न तो स्वयं ऐसा व्यवसाय करेगा और न ही ऐसा व्यवसाय में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा।
9. लाइसेंसिंग अधिकारी को इन उपविधियों के अधीन खान पान से सम्बन्धित व्यवसायों, दुकानों, होटलों हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं की दुकान के निरीक्षण के समय पाये जाने वाली गन्दगी के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं मानव अनुपयोगी पदार्थों को नष्ट करने का अधिकार होगा।
10. प्रत्येक व्यापारी/व्यवसायी को चाहिये कि वह नगरपालिका परिषद कार्यालय से लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष माह फरवरी के प्रथम सप्ताह से 30 अप्रैल तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें और व्यवसायिक शुल्क देकर लाइसेन्स प्राप्त कर लें।
11. ट्रेड लाइसेंस नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से जारी किये जायेंगे। पोर्टल में तकनीकी खामी की दशा में लाइसेन्स ऑफलाईन जारी किये जा सकेंगे।
12. उपयुक्त उपविधि में वर्णित किसी भी अंश का उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसिंग अधिकारी लाइसेन्स धारक को आवेदन पत्र को इस समय तक लम्बित रख सकता है, या निरस्त कर सकता है जब तक कि ऐसा लाइसेन्स धारक के आवेदनकर्ता से इन उपविधियों के अधीन सफाई स्वच्छता नित्य प्रति खान पान से सम्बन्धित व्यवस्था व सार्वजनिक दुकान को पूर्ण रूपेण स्वच्छ रखने आदि की व्यवस्था न की हो अथवा लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा जांच करने पर सम्बन्धित दुकानदार द्वारा निर्दिष्ट हिदायतों का सार्वजनिक हित में स्वच्छता आदि की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से न रखी हो।
13. इन उपविधियों के अन्तर्गत खान पान से सम्बन्धित व्यवसायों दुकानदारों, व्यक्तियों को दुकान से अगल बगल व सामने प्रवेश कक्ष के समीप दुकान का कूड़ा व अन्य अनुप्रयुक्त गंदी वस्तुएँ रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा, जो किसी भी व्यक्ति की दृष्टि से अशोभनीय लगती है।
14. इन उपविधियों के अधीन लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किसी भी दुकानदार को व्यक्ति को लाइसेन्स न दिये जाने पर एक माह अन्दर प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी को सुनवाई हेतु अपील करने का अधिकार होगा, परन्तु अपीलकर्ता को उपयुक्त नियमों के अधीन वर्णित व्यवस्था के अनुपालनार्थ उत्पीड़न होने की दशा में ही अपील की सुनवाई होनी सम्भव होगी।
15. लाइसेन्स धारक अपने लाइसेन्स का नवीनीकरण 30 अप्रैल तक नहीं कराता है, तो लाइसेन्स शुल्क पर विलम्ब शुल्क देय होगा, विलम्ब शुल्क निर्धारित शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से लाइसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा।
16. कोई भी व्यक्ति लाइसेन्स धारक अपना व्यवसाय अथवा समाप्त करेगा तो वह अपना लाइसेन्स निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह पूर्व प्रस्तुत करेगा, जिसमें लाइसेंसिंग अधिकारी दुकान/प्रतिष्ठान का निरीक्षण करके लाइसेन्स निरस्त करेगा।
17. इन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत नियमावली में लिखित व्यवसायों/उद्यमों से सम्बन्धित पूर्व प्रभावी लाइसेन्स स्वतः समाप्त हो जायेंगे। परन्तु जिन व्यवसायों को इस उपविधि में उल्लेखित नहीं किया गया है, से सम्बन्धित पूर्व लाइसेन्स उपनियम यथावत रहेंगे।
18. कोई भी व्यवसायी प्लास्टिक, पॉलिथीन, थर्माल कोल अथवा उससे बनी वस्तु का प्रयोग अथवा उपयोग नहीं कर सकेगा।
19. लाइसेन्स की दरों में संशोधन का अधिकार बोर्ड को होगा।
20. नगरपालिका द्वारा मात्र व्यवसाय करने के लिये लाइसेन्स जारी किये जायेंगे, ट्रेड से सम्बन्धित विभागों से लाइसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व लाइसेन्सकर्ता का होगा।
21. उपविधि के अधीन निर्मित लाइसेन्स के बकाये की वसूली भू राजस्व की भांति की जा सकेंगी।

दण्ड

उपरोक्त उपविधि के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर रु 1000.00 (एक हजार मात्र) तक अर्थदण्ड दिया जा सकेगा। यदि समयान्तर्गत लाईसेन्स धारक ने लाईसेन्स प्राप्त/नवीनीकरण नहीं किया और उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से रु 50 (पचास रुपये) प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड लिया जायेगा।

संशोधित उपविधि

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद, रामनगर(नैनीताल) द्वारा व्यवसायिक लाईसेन्स उपविधि 2025 को पालिका बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। उक्त संशोधन गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। नई दरें निम्नवत् हैं—

स्तम्भ 1 के स्थान पर स्तम्भ 2 पढ़ा जाये।

क्र०सं०	ULB Trade	स्तम्भ 1 वर्तमान दरें वार्षिक रुपये में	स्तम्भ 2 संशोधित दरें वार्षिक रुपये में
01	मुर्गा मीट की दुकान	500	1500
02	बड़ा मीट की दुकान	300	1000
03	मछली फड़	15	500
04	बकरा मीट की दुकान	—	1500
05	अण्डा विक्रेता/पोल्ट्री फार्म	—	1000
06	अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति गृह	2500	10000
07	क्लीनिक/(एलोपैथी)	750	2000
08	क्लीनिक आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/(आयुष)	750	2000
09	डेंटल क्लीनिक	250	2000
10	पैथोलॉजी/एक्स रे0/डायग्नोस्टिक सेन्टर	750	5000
11	मेडिकल स्टोर	—	5000
12	मोबाईल की दुकान/कम्प्यूटर की दुकान	—	2000
13	घड़ी/घड़ीसाज	—	1000
14	चश्मे की दुकान	—	1000
15	इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिकल उपकरण की दुकान	—	2000
16	इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयर की दुकान	—	1000
17	रेडिमेड गारमेन्ट्स/वस्त्रालय	—	2000
18	जूते चप्पल की दुकान	—	2000
19	ज्वैलरी शॉप	—	5000
20	पेन्ट दुकान/बर्तन की दुकान	—	2000
21	मिष्ठान की दुकान	—	2000
22	डेयरी की दुकान	—	2000
23	फल/सब्जी की दुकान	75	1000
24	जूस कार्नर	—	1000
25	चाय/पान की दुकान	—	500
26	फूल/पूजा पाठ सामग्री	—	500
27	बेकरी की दुकान	—	2000
28	स्टेशनरी/फोटो स्टेट	—	1000
29	गिफ्ट आइटम	—	1000
30	प्रिन्टिंग प्रेस	—	3000
31	किराना/जनरल स्टोर	—	500
32	व्यवसायिक कार्यालय/एडवोकेट/सी0ए0/कन्सलटेन्ट ऑफिस	—	2000
33	बुकिंग कार्यालय/टूर एवं ट्रेवल्स	—	2000
34	वाहन सर्विस सेन्टर/वॉशिंग सेन्टर	—	1500

35	पंचर/हवा की दुकान	—	500
36	प्राइवेट पार्किंग सर्विस	—	2000
37	पानी का टैंकर/सीवर टैंकर सर्विस	—	1000
38	मोटर स्पेयर पार्ट्स/एक्सेसरीज	—	1000
39	बारबर /ब्यूटी पार्लर	—	1000
40	स्पा सेंटर	—	5000
41	ठेला/फड़	80	500
42	फूड बैन	—	1000
43	टैन्ट हाउस	—	5000
44	दर्जी की दुकान	—	1000
45	इन्टरनेट सर्विस/केबिल ऑपरेटर	—	1000
46	फेब्रिकेशन/वेल्डिंग	—	2000
47	कबाड़ की दुकान	—	2000
48	सुपर मार्केट/शॉपिंग मॉल	—	5000
49	पेट्रोल पम्प/गैस डिपो	—	5000
50	फर्नीचर शॉप	—	3000
51	कारपेन्टर	—	1000
52	बैण्ड मास्टर शॉप	—	1000
53	डी0जे0/लाउडस्पीकर/साउण्ड सिस्टम/रिकॉर्डिंग	—	1000
54	कार्मेटिक की शॉप	—	2000
55	ड्राइक्लीनिंग	—	1000
56	सिनेमा हॉल	—	5000
57	कृषि उपकरण/नर्सरी/ऊर्वरक	—	500
58	फोटो स्टूडियो	—	2000
59	कोरियर	—	2000
60	पावर/आरा मशीन/अन्य मशीन	250	1000
61	टिम्बर मर्चेन्ट	—	5000
62	आटा चक्की	100	500
63	जनसेवा केन्द्र	—	1000
64	ईट/पत्थर/टाइल्स /सीमेन्ट,सरिया/लोहा का सामान विक्रेता	—	5000
65	सेनेटरी आइटम /ग्लास स्टोर की दुकान	—	3000
66	लघु उद्योग	—	1000
67	मध्यम उद्योग	—	2000
68	वृहद उद्योग	—	5000
69	फाईनेन्स कम्पनी/चिट फण्ड/ई0 कामर्स	—	5000
70	बीमा कम्पनी	—	5000
71	विज्ञापन एजेन्सी	—	2000
72	आर्कटेक्ट/बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन्स	—	5000
73	स्टोन केशर	—	10000
74	प्रोपर्टी डीलर	—	5000
75	साईकिल स्टोर	—	2000
76	वाहन एजेन्सी शोरूम (चारपहिया/बड़े वाहन)	—	10000
77	वाहन एजेन्सी शोरूम दो पहिया/छोटे वाहन (ई0 रिक्शा/मोटर साईकिल)	—	5000
78	वाहन फिटनेस केन्द्र/प्रदूषण जांच केन्द्र	—	2000
79	कोचिंग सेंटर	—	5000
80	डांस/म्यूजिक प्रशिक्षण केन्द्र	—	1000
81	कम्प्यूटर /व्यवसायिक कोर्स ट्रेनिंग सेंटर	—	5000
82	वाहन ट्रेनिंग सेंटर	—	5000
83	जिम	—	3000
84	फिजियोथैरेपी/योगा सेंटर	—	2000

85	होटल/गेस्ट हाउस/रिजोर्ट 10 कमरो तक	250	5000
86	होटल/गेस्ट हाउस/रिजोर्ट 11 से 20 कमरो तक	1000	7000
87	होटल /गेस्ट हाउस/रिजोर्ट 20 से अधिक कमरे	1000	10000
88	होम स्टे	—	2000
89	पी0जी0/हॉस्टल	—	3000
90	बैंकट हॉल/मैरिज हॉल	1000	5000
91	ढाबा/भोजनालय/रेस्टोरेन्ट (ए0सी0)	—	4000
92	ढाबा/भोजनालय/रेस्टोरेन्ट नॉन ए0सी0	—	2000
93	बार/बार-रेस्टोरेन्ट	6000	10000
94	देसी शराब की दुकान	6000	10000
95	अंग्रेजी शराब की दुकान	12000	15000
96	देसी/अंग्रेजी शराब की कैंटीन	—	5000
97	अन्य/विविध जो उपरोक्त श्रेणी में ना आते हो	—	2000
98	प्रदर्शनी/नुमाईश	—	1000 रु प्रतिदिन

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशाली अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, रामनगर।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद, रामनगर।